न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –61/2024
GCMS No. –2024/215

1.जयश्री माहेश्वरी प्रगृति सोसायटी शम्भुपुरा जरिये अध्यक्ष कैलाशचंद्र पुत्र सोहनलालजी माहेश्वरी निवासी शम्भुपूरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–वादी

बनाम

1. श्री गणपत पुत्र प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बहेड़ा।
3. श्री गोपाल कुंवर पुत्री प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. भंवरकुंवर बेवा प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा।

–प्रतिवादीगण

<u>वाद तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– श्री घनश्याम असावा – अधिवक्ता प्रतिवादी

<u>:: निर्णय ::</u> दिनांक :– 08.07.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजियात वाके ग्राम हसनपुरा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा के खाता सं. 9 की आराजी नं. 114 रकबा 0.3300 हैक्टेयर स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात वादी की संयुक्त स्वामित्व अधिपत्य की आराजियात थी, वादग्रस्त आराजियात जिसके पुराने आराजी नम्बर 47 मीन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, जिसके नये आराजी नं0 114 रकबा 0.3300 हेक्टेयर हैं, जिसमे प्रतिवादीगण के पिता व पति प्रहलादसिंह पुत्र रेवतसिंहजी राजपुत निवासी सतखंडा का संयुक्त 1/3 हिस्सा था प्रहलादसिंह द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27/06/2012 से वादग्रस्त आराजियात मे अपना दर्ज सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादी संस्था को विक्रय कर मौके पर कब्जा सुपुर्द किया तथा उक्त भूमि वादी संस्था के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही थी, तथा वादी संस्था द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजियात [illegible] ही अन्य पुराने आराजी नं0 51 मी रकबा 1 बीघा व आराजी नं0 88/51 मी[illegible]बा [illegible] बिस्वा कुल 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में स्व० प्रहलादसिंहजी का [illegible] 2 हिस्सा कुल 13,80,000/ रुपये में कय कर कब्जा प्राप्त किया उक्त आराजियात वादी संस्था के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज चली आ रही हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से [illegible] जमाबंदी रेटेशन में नवीन आराजी नं0 114 पुनः प्रहलादसिंहजी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी जबकि प्रहलादसिंहजी द्वारा वादग्रस्त आराजियात विक्रय करने के बाद प्रहलादसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:19:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक सरोकार संबंध नहीं रहा हैं, प्रहलादसिंह जी का देहान्त हो गया तथा प्रहलादसिंह के वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण हैं। वादी संस्था ने प्रतिवादीगणो को उनके पिता व पति प्रहलादसिंहजी द्वारा विकय की गई भूमि को वादी संस्था के नाम घौषित करा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और स्व० प्रहलादसिंह जी के नाम दर्ज संयुक्त 1/3 हिस्सा वादी संस्था के नाम घोषित कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादी संस्था वादग्रस्त आराजियात में स्व० प्रहलादसिंहजी का दर्ज संयुक्त 1/3 हिस्सा वादी संस्था के नाम घौषित करा कर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं, तथा स्व० प्रहलादसिंहजी का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कराने के अधिकारी हैं।

3. वाद कारण दिनांक 20/04/2024 को जब वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजियात में उनके पिता व पति स्व०प्रहलादसिंहजी द्वारा किये गये रजिस्टर्ड विकय पत्र से वादग्रस्त 1/3 हिस्सा वादी संस्था के नाम घौषित करा राजस्व रेकार्ड मे वादी संस्था का नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे व नाम पर कराने से इंकार हो गये से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश हैं।

4. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई । मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी संस्था व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया है व राजीनामे अनुसार वाके ग्राम हसनपुरा पटवार हल्का सतखंडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़ग राज. के खाता संख्या 9 की आराजी नं. 114 रकबा 0.3300 हैक्टेयर स्थित है उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण के पिता व पति प्रहलादसिंह पुत्र रेवतसिंहजी राजपूत निवासी सतखंडा के नाम दर्ज शुदा 1/3 हिस्सा वादी संस्था के नाम घौषित किया जावें तथा हम प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉड से विलोपित किया जावें।

<u>घोषणा है कि</u>

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की मौजा ग्राम हसनपुरा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा के खाता सं. 9 की आराजी नं. 114 रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण के पिता व पति प्रहलादसिंह पुत्र रेवतसिंहजी राजपूत निवासी सतखंडा के नाम दर्ज शुदा 1/3 हिस्सा वादी के नाम घोषित कर अमल दरामद किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.07 16:19:40 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मूल वाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –123/2024
GCMS No. –2024/215

1. जयश्री माहेश्वरी प्रगृति सोसायटी शम्भुपूरा जरिये अध्यक्ष कैलाशचंद्र पुत्र सोहनलालजी माहेश्वरी निवासी शम्भुपूरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–वादी

बनाम

1. श्री गणपत पुत्र प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बहेड़ा।
3. श्री गोपाल कुंवर पुत्री प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. भंवरकुंवर बेवा प्रहलादसिंह जी राजपूत निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री घनश्याम असावा व पैरोकार सरकार की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है । तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की ग्राम हसनपुरा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा के खाता सं. 9 की आराजी नं. 114 रकबा 0.3300 हैक्टेयर प्रतिवादीगण के पिता व पति प्रहलादसिंह पुत्र रेवतसिंहजी राजपूत निवासी सतखंडा के नाम दर्ज शुदा 1/3 हिस्सा वादी के नाम घोषित किये जाने एवं अमल दरामद किया जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi.
Date: 2024.10.07 16:19:40 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा